

प्ररुप-14
(नियम -4 (1) देखिए)
अनुज्ञा और आबंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती,
सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

.....
.....
(स्थानिय प्राधिकारी का नाम)

1.	(क) आवेदक और उसके माता पिता का नाम और डाक का पता	
	(ख) यदि आवेद ने अन्य ओर से फाइल किया गया है तो मुख्तार नामे की प्रमाणित प्रति	
	(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन/संगम-अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक कम्पनी हैं)	
	(घ) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक फर्म/संस्था है)	
	(ङ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम, 2010 (यदि लागू हो) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र	
2.	आवेदित क्षेत्र का ब्यौरा: (1) ग्राम और तहसील का नाम (2) खसरा सं. और क्षेत्र या भूमि के अन्य ब्यौरे	
3.	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति और आवेदिन भूमि के ब्यौरे	
	(क) प्ररुप-15 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रुप से अनुप्रमाणित शपथपत्र	
	(ख) प्ररुप-16 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रुप से अनुप्रमाणित बंधपत्र	
	(ग) हक/पट्टे का सबूत	
	(घ) विक्रय विलेख/विक्रय करार/वसीयत/मुख्तारनामे की प्रति	
	(ङ0) अभिन्यास योजना	
	(च) यदि भूखण्ड की सीमा मे कोई एचटी/एलटी लाईन या टांसफार्मर है	

	(छ) यह सबूत कि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजना के लिए उपयोग 17 जून, 1999 से पूर्व किया गया है	
	(ज) आवेदक की पहचान का सबूत	
4.	नियम 16 के अधीन निक्षिप्त प्रीमियम की रकम और चालान सं. और तारीख	
5.	(क) लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हों)	
	(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
6.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
7.	पृष्ठों की कुल संख्या	
8.	टावेदन की तारीख	

आवेदक सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ-पत्र, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र और उपर उल्लेखित दस्तावेजों के साथ प्रयोजन (गैर-कृषिक उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के नियमितीकरण के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

घोषणा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी जानकार और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का पता

.....
.....
.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्राप्ति

आवेदक.....ने दिनांक..... को दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया जो रजिस्टर में क.सं. पर दिनांक को रजिस्ट्रीकृत किया गया। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटारा जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, के संबंध में जानकारी 7 दिन के भीतर-भीतर या तो दरभाष से दी जायेगी या स्थानिय प्राधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-15
(नियम-16(1) देखिए)
शपथ-पत्र

मैं/हम श्री.....पुत्र श्री.....आयु.....
निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
जिला..... ।

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूं/लेते हैं और घोषणा करता हूं/करते हैं:-

1. यह कि/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि का/के स्वामी/कब्जा धारक हूं/हैं और प्रारूप 14 में मेरे/हमारे पक्ष में आबंटन तथा पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदिन भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक आदेश/व्यदेश प्रवृत्ति नहीं है और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.सं.	भूमि का ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मैं/हम, स्थानिय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्य और रकम का इसके द्वारा संदाय करने का पालन करूंगा/करेंगे।
3. यह कि राज्य सरकार और स्थानिय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निदेशों और आदेशों आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
4. यह कि आवेदित भूमि दी गयी अनुज्ञा में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में ली जायेगी और स्थानिय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार विकसित की जायेगी।
5. यह कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त शपथ-पत्र पैरा 1 से 5 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और उसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

अभिसाक्षी

मेरे द्वारा पहचान की गयी:

प्ररूप-16
(नियम-16(1) देखिए)
क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं/हम श्री.....पुत्र श्री.....आयु.....
निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
..जिला.....

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूं/लेते हैं और घोषणा करता हूं/करते है:-

1. यह कि मैं/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि, जिसके लिए प्रारूप 14 में भूमि का आबंटन और मेरे/हमारे पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के स्वामी हूं/हैं।

क्र.सं.	भूमि का ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

1. यह कि मैं/हम मामले में स्थानिय प्राधिकारी द्वारा भूमि आबंटन और पट्टा विलेख जारी करने के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानिय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए इसके द्वारा स्वयं को पाबंद करता हूं/करते हैं।
2. यह कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन और भूमि के आबंटन के कारण मामले में उत्पन्न किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानिय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी इसके द्वारा स्वयं को पाबंद करता हूं/करते हैं।
3. यह कि स्थानिय प्राधिकारी को, आवेदक की ओर किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आबंटन को निरस्त करने और अभिन्यास योजना के अनुमोदन को प्रत्याहृत करने का अधिकारी होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक